• निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना

• निःशक्तजन विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

• निःशक्तजन छात्रग्रह योजना

• समेकित शिक्षा योजना

भारत सरकार की समेकित शिक्षा योजना के तहत निःशक्त बालक–बालिकाओं की शिक्षा सामान्य विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित है । योजना के तहत सामान्य विद्यालय में अध्ययनरत निःशक्त बालक–बालिकाओं को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती है ।

• रूपये 400 – प्रतिवर्ष की दर से पुस्तकों एवं लेखन सामग्री पर हुआ वास्तविक खर्च ।

• रूपये 200 – प्रतिवर्ष की दर से वर्दियों पर हुआ वास्तविक खर्च ।

• रूपये 50– प्रतिमाह की दर से गैर छात्रावासी छात्र–छात्राओं को परिवहन भत्ता ।

• नेत्रहीन विद्यार्थियों को कक्षा 5 के बाद रूपये 50– प्रतिमाह की दर से वाचक भत्ता ।

• शरीर के निचले भाग में निःशक्तताधारी छात्र–छात्राओं को रूपये 75– प्रतिमाह की दर से मार्गरक्षण भत्ता ।

• टेप रिकार्डर का प्रदाय : – दृष्टिहीन छात्र–छात्राओं को कक्षा 12 वीं उच्च शिक्षा में नियमित रूप से अध्ययन किये जाने के लिए टेप रिकार्डर उपलब्ध कराया जाता है ।

• ब्रेल पुस्तक :– दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कक्षा 5 से 10 वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके, संबंधित शैक्षणिक संस्था प्रमुख की मांग पर उपलब्ध करायी जाती है ।

• लेखक सुविधा :– दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लेखक सुविधा प्रदान की जाती है । परीक्षा पूर्व लेखक सुविधा की मांग संस्था प्रमुख को लिखित रूप से दी जाना चाहिए ।

• परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं को डेढ़ घण्टे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है ।

• विशेष विद्यालय (शासकीय) :– मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में 20 शासकीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है ।

• विशेष विद्यालय (अशासकीय) :–निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा हेतु 41 अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाएं संचालित है।

निःशक्तों हेतु विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविरों का आयोजन निःशक्तों को उनके अधिकारों एवं उनको मिलने वाली सुविधाओं /लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं, जहां निःशक्त व्यक्ति अपनी समस्याओं , तकलीफों के विषय में बता सकते हैं एवं समस्याओं एवं कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण किस तरह से हो इसकी जानकारी ले सकते है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें -

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, उप समिति ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,

2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,

3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,

4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

कानूनी साक्षरता - हटाये दुर्बलता

निःशक्त जन एवं अधिकार

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131 फैक्स : 2678537

वेबसाइट : www.mpslsa.nic.in

ईमेल : mplsajab@nic.in

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम

इसके उपबंधों के अनुसार निःशक्तर व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, एतद् द्वारा निःशक्त छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली फीस, निवार्ह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना बनाती है, जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाएगा ।

निःशक्तः– निःशक्त व्यक्ति वह है जो अपने रोजमर्रा के काम सामान्य रूप से नहीं कर पाता हो अर्थात वह सामान्य रूप से चल फिर नहीं पाता या काम नहीं कर पाता या देख नहीं पाता हो इत्यादि ।

मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना 2008 है । यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009–10 से प्रभावशील होगी ।

निर्वाह भत्ता :– ऐसे पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत निःशक्त छात्र–छात्राओं को रूपये 1500/–(रूपये एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जावेगा ।

परिवहन भत्ता :– निःशक्त छात्र/छात्रा को स्नातक शिक्षा के पश्चात् मेडिकल इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में रूपयें 500/–(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह, नगरपालिका क्षेत्र में रूपये 300/–(रूपये तीन सौ) प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा ।

पात्रता :– उपरोक्त आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :–

1. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार निःशक्त छात्र/छात्रा को निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें छात्र/छात्रा की निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा ।

2. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा ।

3. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्य प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविविद्यालय में ही नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक होगा ।

4. निःशक्त छात्र/छात्रा के माता–पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 96,000/(रूपये छियानवे हजार) से अधिक नहीं हो ।

5. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ते का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा, जैसे कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि विभागों से शिक्षण शुल्क में छूट/मुक्त आदि सुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो वह अपनी इच्छानुसार किसी एक विभाग की योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा ।

6. नियमित छात्र/छात्रा यदि अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर वर्ष के लिए दोबारा अध्ययन करने हेतु शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों का पात्र नहीं होगा, परंतु अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तथा वह अगले सेमिस्टर/सेमिस्टर वर्ष में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत होता है तो ऐसे छात्र/छात्रा को चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्तों की पात्रता होगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

उद्देश्य :– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । भारत सरकार द्वारा ऐसे परिवार के लोगों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता पहुँचाना है ।

पात्रता के मापदण्ड :–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

2. आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष हो ।

3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

4. निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पाल्सी मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेविलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिये ।

पेंशन राशि :– 200 रूपये प्रतिमाह ।

पेंशन भुगतान की प्रक्रिया :– हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है । तथा असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन /उपकरण देना

उद्देश्य :– अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित निःशक्त व्यक्तियों को शारीरिक दोष दूर करने के लिये विशेष साधन /उपकरण प्रदाय करना ।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र :– इस योजना में प्रदेश के अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता के आधार पर विशेषज्ञ की सलाह से कैलीपर्स, आर्थोपैडिक जूते, बैशाखी, ट्रायसिकल, व्हील चेयर, छड़ी और श्रवण यंत्र आदि उपकरण /साधन उपलब्ध कराये जाते है ।

हितग्राही चयन प्रक्रिया :– जिला स्तर या तहसील स्तर पर या अन्य शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराकर उनके लिये सुझाए गये कृत्रिम अंग / उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं ।

निःशक्तजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएँ :-

- निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना
- निःशक्तजन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना